कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ / सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांकः 01 / डी0डी0 / फा0स0 / मेरठ–17 (मेरठ) / 67 दिनांक जनवरी 27 2017

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

विषयः मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा खसरा न0–103,104 ग्राम मलियाना ऋषिनगर बागपत रोड तहसील व जिला मेरठ पर निर्मित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) को संचालित किये जाने हेतु कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः यूआईडी:2017 / 27236 / एमआरटी / मेरठ / 554 / डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सख्याः 663 / प्रधान सहायक / अना0 प्रमाण पत्र / 2016–17 / मेरठ दिनांकः 16–01–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा खसरा न0–103,104 ग्राम मलियाना ऋषिनगर बागपत रोड तहसील व जिला मेरठ पर निर्मित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) को संचालित किये जाने हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने को अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ से किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे स्थल का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ श्री मुकेश कुमार से कराया गया से कराया गया तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांकः 20–01–2017 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ श्री शिवदयाल शर्मा द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 21–01–2017 इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई प्रस्तुत आख्याओ एवं अभिलेखो का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचनाः– कुल भूखण्ड एरिया–1916.19 वर्ग मी0 है।

1–निर्मित भूतल कवर्ड एरिया–60.70 वर्ग मी0।

पहुँच मार्गः– प्रश्नगत भवन के सामने 45.00 मीटर चौडा रोड उपलब्ध है। जिसमे अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते है।

प्रवेश द्वारः– प्रश्नगत स्थल के सामने रोड है, तथा प्रवेश एवं निकास हेतु 6.00 मी0 चौडा मार्ग उपलब्ध है।

सैटबेकः– प्रश्नगत भवन के सैटबैक के प्राविधान पैट्रोलियम रूल्स के अनुसार उपलब्ध है।

अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणालीः– प्रश्नगत रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम एक्ट–1934, तथा उसके रूल्स व सम्बन्धित मानक के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाऐं स्थापित पायी गयीः–

1–प्रत्येक डिस्पेन्सिंग यूनिट हेतु फायर एक्सटिंग्यूशर ए0बी0सी0 टाईप क्षमता 09 कि0ग्रा0–02 अदद।

2–प्रत्येक डिस्पेन्सिंग यूनिट हेतु फायर एक्सटिंग्यूशर सी0ओ0टू0 टाईप क्षमता–4.5 कि0गा0–04 अदद।

3–फोम ट्राली क्षमता 45 लीटर– 01 अदद।

4–फायर बंकेट–12 अदद मय स्टैण्ड।

5–बालु का पर्याप्त मात्रा मे अतिरिक्त भण्डारण।

6–प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाइन नही गुजर रही है एवं भविष्य मे भी ऊपर से विद्युत लाईन गुजारने की अनुमति नही होगी।

7–आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन न0 का बोर्ड जिस पर अग्निशमन सेवा, थाने एवं नर्सिंग होम के टेलीफोन न0–100, 101, अंकित पायें गये।

8–धुम्रपान निषेध के बोर्ड उपलब्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्राविधान जो पैट्रोलियम रूल्स 2002 तथा आई0एस0–4644–1968 के मानको मे उल्लेखित वांछित नियमों का सदैव पालन किया जाने तथा प्रश्नगत रिटेल आउटलेट मे अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा मे बनाये रखने एवं सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आईएस–1646 के मानको के अनुरूप करते हुये विद्युत वायरिंग मे एमसीबी / ईएलसीबी का प्राविधान मानको के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(अजय शर्मा)
उप निदेशक फा0 स0
मेरठ

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ की संस्तुति आख्याओं के

For Reliance Industries Ltd.
23/1/2018
Authorised Signatory
Amit Bhatia
State Head
U P (W) & Uttarakhand
Reliance Industries Ltd

आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा खसरा न0–103,104 ग्राम मलियाना ऋषिनगर बागपत रोड तहसील व जिला मेरठ पर निर्मित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1–फिलिंग स्टेशन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐ रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जायें।

2–फिलिंग स्टेशन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3–फिलिंग स्टेशन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्राुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4–फिलिंग स्टेशन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5–प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6–वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7–विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8–फिलिंग स्टेशन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

9–उपरोक्त शर्तो ~~का~~ उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फ़ा० स०
मेरठ

प्रतिलिपिः 1–संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मेरठ उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा खसरा नं० 103,104, ग्राम मलियाना ऋषि नगर, बागपत रोड मेरठ

For Reliance Industries Ltd.

23/1/2014

Authorised Signatory

Amit Bhatia
State Head
U P (W) & Uttarakhand
Reliance Industries Ltd